'व्यवस्था करने का काम रेलवे द्वारा नहीं किया जा सकता ।

Pharmacists working at Lucknow (Northern Railway)

1968 SHRI C K CHANDRAPPAN Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state

(a) whether some pharmacists working in Northern Railway, Lucknow were given higher responsibility and grade of Rs 205—280 (AS) with the concurrence of the Divisional Authorities i e D M O , D A O and D S Northern Railway, Lucknow and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF MADHU DANDAVATE) (a) and (b) In the Lucknow Division of the Northern Railway, one post of Pharmacist in grade Rs 60—130(PS) was revised to Gr 150—225(PS)/205—280(AS) from 1-4-56 arrears being payable from 1-4-57 Similar upgradation was also effected in the other six Divisions on that Railway The posts of Pharmacists in Grade 205—280 were controlled by the headquarters of the Northern Railway till 26-3-65 after which it was decided that the posts in this grade would be controlled by the Divisions Accordingly, the orders for the revision of the grade were issued by the headquarters office on 22-3-63 promoting seven senior most Pharmacists against the seven upgraded posts including the one on Lucknow Division with retrospective effect from 1-4-56 On this basis, an eligible employee who was promoted against the upgraded post on Lucknow Division was given benefit for the period 1-4-56 to 30-6-61 whereafter he retired from service

Against this post in grade 205—280 (AS), another employee was promoted w e f 3-3-65 after passing the suitability test During the period 1-7-61 to 2-3-65 he was actually working in the lower grade of 130—240(AS) and he was also not due promotion on the basis of overall seniority of Pharmacists on the Railway as a whole However erroneously he was allowed arrears in Gr 150—225(PS)/205 -280 (AS) for the period 1-7-61 to 2-3-65 resulting in overpayment to this employee which the Railway Administration has decided to recover

मुरादाबाद-काशीपुर छोटी लाइन को बडी लाइन में बदलना

1969 श्री भारत भूषण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मुरादाबाद-काशीपुर छोटी लाइन को बडी लाइन मे बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा , और

(ख) क्या कुमाऊ पर्वतीय क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण के लिए विकसित करने तथा उस क्षेत्र के उत्पादो के परिवहन के लिए वहां कोई रेलवे लाइन बनाने की योजना है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) मुरादाबाद-रामनगर मीटर लाइन को बडी लाइन मे बदलने का काम चल रहा है । लेकिन धन की सीमित उपलब्धता के कारण इस समय इस कार्य के पूरा होने की निश्चित तारीख बताना कठिन है ।

(ख) जी हां ।

मै० ओरिएन्ट पेपर मिल्स और जय इलैक्ट्रिक वायर कारपोरेशन लि० द्वारा विज्ञापनों के लिए कांग्रेस दल को चन्दा

1970. श्री रंगलाल प्रसाद वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० ओरिएन्ट पेपर मिल्स लि०, बूजराजनगर (उडीसा) ने स्मारिका में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए वर्ष 1976 के अन्तिम दिनो मे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एक राजनैतिक पार्टी) को 1,99,000 रुपये की धनराशि दान में दी थी जैसा कि (आय-व्यय लाभ-हानि लेखे) के पृष्ठ 16 पर कम्पनी के लेखाओ से स्पष्ट है, और

(ख) क्या इसी प्रकार जय इलेक्ट्रिक वायर कारपोरेशन लि० ने भी विज्ञापनों के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 30,000 रुपये की धनराशि दान में दी थी जिसका विवरण दिनाक 26 फरवरी 1977 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' मे दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) कम्पनी के, 31-3-1976 की वित्तीय वर्ष समाप्ति के लाभ-हानि लेखो मे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्मारिका मे विज्ञापन के लिए दी गई, 1,99,000 की राशि 'विविध व्यय" के अन्तर्गत सम्मिलित की गई है ।

(ख) नही, श्रीमान जी । 'इण्डियन एक्सप्रेस' के दिनाक 26-2-1977 के अक मे दिये गये समाचार से प्रतीत होता है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने एक हिस्सेधारी द्वारा दिये गये प्रावेदन पर, स्मारिका मे विज्ञापन के लिए पुस्तकन के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 30,000 रुपये की राशि, देने से कम्पनी को निषेध कर दिया है ।

आवश्यक औषधियों का मूल्य निर्धारण

1971. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक औषधियों का मूल्य पिछली बार कब निर्धारित किया गया था ; और

(ख) कम्पनियों को कितने प्रतिशत लाभ स्वीकार किया गया ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण बहुगुणा) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 की अनुसूची I मे दर्शाये गये आवश्यक प्रपुज औषधो के मूल्य सरकार द्वारा टैरिफ आयोग की सिफारिशो पर मई, 1970 मे निर्धारित किये गये थे । इन मूल्यो मे औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरा द्वारा लागत व तकनीकी जाच करने के पश्चात कच्चे माल की लागत मे वृद्धि के आधार पर बाद मे सशोधन किया गया है ।

(ख) इस समय इन प्रपुज औषधो के निर्माताओ को शुद्ध मूल्य पर 12 प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा है ।

Reduction in Price of Pesticides

1972. SHRI BHAGAT RAM:
SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Government propose to reduce the price of pesticides and ensure its regular supply to the farmers; and

(b) if so, action proposed in this regard?